

प्रारुप-6 प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनाँक 18*–05–015* को *निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पुरोला* (एजेन्सी का नाम) के द्वारा *आराकोट कलीच थुनारा डामटी (अवशेष भाग का विस्तार)* तक बनाये जाने वाले मार्ग / प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतू स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री श्री आर*oyनo श्रीवास्तव, उप प्रभागीय वनाधिकारी, आराकीट उप प्रभाग, टौंस वन प्रभाग पुरोला* राजस्व विभाग की ओर से *श्री कामेश्वर प्रसाद राजस्व उपनिरीक्षक, भूटाणू* प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री *डीoएसo रावत सहायक अभियंता*, अन्य दावेदारों की ओर से श्री अकबर राणा *सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम कलीच* तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रुप में *श्री सलीता राणा प्रधान ग्राम पंचायत कलीच* के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेत् सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेत्

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन / स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 250 (मी०) नाप भूमि से, 325 (मी०) सिविल भूमि से, — (मीo) वन पंचायत से, <u>4425</u> (मीo) आरक्षित वन भूमि तथा मक डिस्पोजल हेतु <u>150</u> (मीo), आरक्षित भूमि से, <u>200</u> (मीo) सिविल भूमि से, प्रभावित होगी एवं इस समरेखण / स्थल के चयन में कुल <u>0.2250</u> है0, नाप भूमि, <u>0.2925</u> हे0 सिविल भूमि, <u>—</u> हे0 वन पंचायत भूमि 3.9825 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.5375 हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर / चुने गये स्थल पर लगभग <u>167</u> वृक्ष <u>चीड़, कुकाट, कैल, देवदार, रई, आदि</u> प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य वृक्ष बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे ।

इस समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 265 (मी०) नाप भूमि से, 316 मी०) सिविल भूमि से, -(मी0) वन पंचायत से, 4517 (मी0) आरक्षित वन भूमि से तथा मक डिस्पोजल हेतु 210 (मी0) सिविल भूमि से,315 (मी0) आरक्षित भूमि से, प्रभावित होगी एवं इस समरेखण / स्थल के चयन में कुल <u>525</u> हैं। नाप भूमि, <u>0.3825</u> हें। सिविल भूमि, <u>—</u>हें। वन पंचायत भूमि <u>4.3625</u> हे0 आरक्षित वन भिम की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4<u>.745</u> हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर / चुने गये स्थल पर लगभग 205 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से शून्य बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेत् चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भृमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भृमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल / समरेखण आरक्षित वन <u>03</u> कक्षों से गुजरेगा / में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन <u>सामान्य</u> है एवं इन कक्षों में *विभिन्न* प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि *4.5375है*0 पर *शून्य* प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर *चीड़, कुकाट, कैल, देवदार, बांझ, अंयार, मेहल, फर, रई, आदि* प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन ७५ है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 77°50'43.16"E 31°02'25.98"N है तथा यह स्थल निर्मित किये जाने वाले अराकोट कलीच थुनारा डामटी मोटर मार्ग के कि0मी0 7 से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल थुनारा है जिसका GPS मान 77°51'23.75" E31°01'18.96"N समरेखण / स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान 77°51'43.17"E 31°01'55.10"N हैं।

चयनित समरेखन में कुल *श्रुन्य* पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्क होगा । चयनित उपयुक्त स्थल / समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है।

चयनित उपयुक्त स्थल / समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही होगा । इस समरेखण पर *मोटर मार्ग निर्माण* के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेत् *06* स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान 77°50'39.39"E 31°02'13.71"N, 77°51'28.74"E 31°02'05.94"N, $77^{0}51'43.17"E 31^{0}01'55.10"N, 77^{0}51'37.08"E 31^{0}01'38.43"N", 77^{0}51'29.89"E 31^{0}01'31.99"N77^{0}51'26.64"E$ 31⁰01'22.12N हैं।

अन्य आवश्यक विवरण :- उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण से स्थानीय ग्रामवासियों एवं क्षेत्रीय कास्तकारों को अपनी नगदी फसलों को सुगमतापूर्वक स्थानीय मण्डियों तक पहुँचाने में सुविधा मिलेगी, एवं साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा जिससे क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा।

(डीøर्रस० रावत) सहायक अभियंता नि०ख०, लो०नि०वि०, पुरोला (उत्तरकाशी) (प्रयोक्ता एजेन्सी)

(आर्0प्रत0 श्रीवास्तव) उपप्रभागीय वनाधिकारी (देवता रेंज) टौंस वन प्रभाग पुरोला (बन विभाग)

र्श्व, काष्टा

Of zich (कामेश्वर प्रसाद) राजस्व उपनिरीक्षक, भूटाणू मोरी

(राजस्व विभागा स्ता स (अन्य दावेदार)

जिला धकारी

उत्तरकाशी

naat (अकबर राणा) सामाजिक कार्यकर्ता कलीच

(सलीता राणा) प्रधान ग्रामिक्वायत मोरी(उ०क)

प्रधान -

कलीच

(जन प्रतिनिधि)



FORM-II (for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Uttarkashi.

No---

Dated----

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 4.275 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer, Construction division, P.W.D. Purola (Uttarkashi) (name of user agency) for Construction of Aarakot Kalich Thunara Damti (Awses Bhag Ka Bistar) Motor Road. (purpose for diversion of forest land) in Uttarkashi district falls within

jurisdiction of <u>Thunara</u> village (s) in <u>Mori</u> tehsil(s). It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4-5375 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel

 Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23:2
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

TOY TENERAL

(Full name and official seal of the District Collect

प्रारुप-7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF (for the forest land to be diverted under FCA)

- 5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 4.5375 ha.
- 5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project, yes
- 5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:- No
- 5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.
 - a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
 - b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोट:- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति / टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय)

	(Signature)
	Name
	Office Seal

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

(Signature)

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.